

संख्या--BSDM/विविध-06/2020- 650

बिहार सरकार

बिहार कौशल विकास मिशन

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0,  
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
बिहार कौशल विकास मिशन ।

सेवा में,

1. सभी श्रमाधीक्षक, बिहार
2. सभी श्रमप्रवर्तन पदाधिकारी, बिहार
3. सभी जिला कौशल प्रबन्धक, बिहार

पटना, दिनांक-18/09/2020

विषय:- बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्राधीन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व Covid 19 के संक्रमण से बचाव के निमित्त केन्द्रों की जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य दिनांक-28.09.2020 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व Covid 19 के संक्रमण से बचाव के निमित्त Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा निर्गत SOP में अंकित आवश्यक संसाधनों एवं आधारभूत संरचना की उपलब्धता प्रशिक्षण केन्द्रों पर रहना अनिवार्य है।

उक्त परिपेक्ष में निदेश दिया जाता है कि श्रमप्रवर्तन पदाधिकारी के द्वारा अपने-अपने प्रक्षेत्र में अवस्थित सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की जिला कौशल प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से जाँच किया जाना सुनिश्चित किया जाये। निदेश दिया जाता है कि जाँच की तिथि को ही जाँच से संबंधित फोटोग्राफ(जिसमें स्वयं की छवि तथा केन्द्र का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा लैव का भी फोटोग्राफ) एवं प्रतिवेदन (संलग्न प्रपत्र के अनुरूप) बिहार कौशल विकास मिशन को Solar App के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही सभी श्रमाधीक्षकों को यह निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड में अवस्थित दो केन्द्रों का निरीक्षण उनके द्वारा संयुक्त रूप से जिला कौशल प्रबन्धक के साथ किया जाये तथा जाँच से संबंधित फोटोग्राफ(जिसमें स्वयं की छवि तथा केन्द्र का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे एवं लैव का भी फोटोग्राफ) एवं प्रतिवेदन जाँच की तिथि को ही बिहार कौशल विकास मिशन को Solar App के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। किस कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की जाँच श्रमप्रवर्तन पदाधिकारी अथवा श्रमाधीक्षक के द्वारा की जायेगी इसका निर्णय उक्त जिले के श्रमाधीक्षक के द्वारा किया जायेगा। कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की जाँच से संबंधित प्रतिवेदन निश्चित रूप से दिनांक-26.09.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

अनुलग्नक:-1. जाँच प्रपत्र।

2. प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची।

विश्वासभाजन,


(चन्द्रशेखर सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञाप संख्या-BSDM/विविध-06/2020- 650

पटना,दिनांक- 18/09/2020

प्रतिलिपि- सभी केन्द्र संचालकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(चन्द्रशेखर सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
बिहार कौशल विकास मिशन ।

Checklist for Centre Verification w.r.t center opening against Ministry of Health & Family Welfare SOP dated 8 September 2020.

General Information				
Date of Visit:		Visitors Name & Designation:	1. 2.	
Name of the Centre:		Centre Type: (KYP, Domain, GTP, PMKVY (CSSM), RPL	Centre Code:	
Block:		District:		
Center Address:				

Sl. No.	Check Point	Availability as per Visit (Yes/No)
1	<b>Mandatory Compliances to be checked</b>	
A.	Centre is in containment zones. Yes/No (If Yes training will not be permitted)	
B.	Seating arrangement to ensure a distance of 6 feet between chairs, desks etc in class room and LAB both.	
C.	Prominently display signages, posters and standees must indicate the dos and don'ts for the staff and students for COVID 19.	
D.	Availability of Thermal Guns.	
E.	Appropriate back-up stock of personal protection items like face covers/masks, visors, hand sanitizers etc. shall be made available by management to the teachers and staff.	
F.	Ensure availability of an adequate supply of alcohol wipes or 1% sodium hypochlorite solutions and disposable paper towels, soap, IEC materials for Cleaning and regular disinfection.	
G.	Availability of Pulse oximeter to check oxygen saturation levels of any symptomatic person	
H.	Ensure availability of sufficient covered dustbins and trash cans.	
I.	Ensure proper disposal of used personal protection items and general waste in accordance with CPCB guidelines.	
J.	Ensure availability of soap in toilets and hand sanitizers in other common areas in sufficient quantity	
K.	Staggering of classroom activities to be done, with separate timing slots, to allow for adequate physical distancing and disinfection of classroom premises	
L.	The institute should display State helpline numbers and also numbers of local health authorities etc. to faculty /trainees / staff to contact in case of any emergency.	
M.	Availability of Manual attendance registers (As Biometric Attendance is not allowed).	
N.	Hygienic drinking and hand washing stations, washrooms and lavatories.	

\* Remarks if any:

\* Joint photograph of centre verifiers (Attached) (Yes/No)  
Name & Signature

Name & Signature

District Skill Manager

Labour Enforcement Officer/ Labor Superintendent